

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2019-20 में भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, द्वारा आयोजित एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग पाठ्यक्रम में निम्नांकित शारीरिक शिक्षको को उनके नाम के आगे अंकित खेलों में एवं प्रशिक्षण स्थलों पर नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण वेतन पर करने की विभागीय अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

इनके सम्पूर्ण प्रशिक्षण काल को ड्यूटी पर माना जावेगा। इन्हें राजस्थान शिक्षा विभाग के अधीन 5 वर्ष तक सेवा करने का अनुबंध पत्र/बॉण्ड भरना होगा। प्रशिक्षण के उपरान्त 5 वर्ष तक राज्य सेवा न करने की स्थिति में इन्हें प्रशिक्षण अवधि का सम्पूर्ण व्यय मय ब्याज के विभाग को जमा कराना होगा। उक्त अनुबंध भरने के पश्चात ही सम्बंधित संस्था प्रधान द्वारा इनके प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान प्रतिमाह किया जावे। इनके स्थान पर अन्य किसी की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया जावे :-

क्र.स.	कार्मिक का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	खेल का नाम	प्रशिक्षण संस्थान/स्थान
1.	आरती सैन, शा.शि., रा.उ.मा.वि., नान्दला (अजमेर)	साफ्टबॉल	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, बैंगलोर(कर्नाटक)
2.	महेश नेहरा, व.शा.शि., रा.उ.मा.वि., काछवा (सीकर)	एथेलेटिक्स	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, बैंगलोर(कर्नाटक)

उक्त कार्मिकों को अपने मुख्यालय से प्रशिक्षण स्थल तक का उभयपक्षीय यात्रा भत्ता भी नियमानुसार देय होगा। कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पत्र की प्रमाणित छायाप्रति एवं प्रशिक्षण अवधि के प्रतिमाह वेतन का भुगतान किये जाने की सुनिश्चितता कर उसकी सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे। उक्त कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण करने पर उनको प्रदत्त डिप्लोमा की प्रमाणित छायाप्रति भी अविलम्ब भिजवायी जावे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 15-10-19

क्रमांक: शिविरा/माध्य/खेलकूद-3/35049/एन.आई.एस./2019-20/96

प्रतिलिपि निम्नांकितों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/चूरु ।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर/सीकर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय) अजमेर/सीकर
4. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली



उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर